न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 4/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– सिकन्दर कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति धाणक निवासी वार्ड नं08 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री कृष्ण बेनीवाल — अभिभाषक अपीलान्ट ।
श्री चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28.1.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.9.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19.3.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी सिकन्दर कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति धाणक निवासी वार्ड नं08 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकशान के भय के कारण रिपोर्ट/गवाही को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें एक प्रकरण भा0दं0सं0 एवम् 4 प्रकरण जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं । सभी प्रकरणों में बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा जुआ अधिनियम के 4 प्रकरणों में गैर सायल को सजायाब फरमाया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.3.14 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 28.3.14 की तारीख पेशी दी गयी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.3.14 को उपस्थित होने के पश्चात जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा अपीलान्ट द्वारा 3 वर्ष पश्चात दिनांक 22.6.17 को जवाब नोटिस पेश किया गया। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य बन्द करते हुए दिनांक 24.9.18 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय पीलीबंगा में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 24.9.2018 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस थाना पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 4 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है तथा प्रार्थी पर जुर्माना लगाया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा काई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्ट से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । यह कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मालाराम बनाम स्टेट व अन्य के निर्णय दिनांक 18.5.06 में गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3(3) को अल्ट्रा वायरस घोषित किया हुआ हैं, क्योंकि इस अधिनियम में जिस जगह अभियुक्त को रहने के लिए कहा जाता है वहां न तो इसके रहने के लिए कोई स्थान होता है, नां ही उसके जीवनयापन का कोई माध्यम होता है। इस प्रकार संविधान की धारा 19(1) (डी) व (ई) का खुला उल्लंघन है। यह कि अपीलान्ट शान्तिप्रिय मजदूर पेशा व्यक्ति है, उसका चाल चलन सही है तथा गुण्डा प्रवृति का नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–9–2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द कुल कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें एक प्रकरण भा0दं0सं0 एवम् 4 प्रकरण जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं । सभी प्रकरणों में बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा जुआ अधिनियम के 4 प्रकरणों में अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को सजायाब फरमाया है । इसके अलावा एक फौजदारी मुकदमा सं0 201/23.7.07 पैंडिंग कोर्ट है। प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा आम दिनांक 10.3.14 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट जुआ सट्टे का आदि है तथा अपराधिक प्रवृत्ति का है । अपीलान्ट आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । क्षेत्र के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 19.3.14 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 मुकदमे दर्ज होकर बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है तथा एक फौजदारी मुकदमा पेंडिंग कोर्ट है :–

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	201/23.7.07	323,341,34 भा0दं0सं0	–	पेंडिंग कोर्ट
2	1/3.1.2010	13 आरपीजीओ	25.2.11	सजा जुर्माना 100/–
3	152/1.9.2010	13 आरपीजीओ	16.9.2011	सजा जुर्माना 100/–
4.	17/5.2.2012	13 आरपीजीओ	14.2.2012	सजा जुर्माना 100/–
5	269/26.10.13	13 आरपीजीओ	19.11.2013	सजा जुर्माना 100/–

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान जुआ अधिनियम के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 4 मुकदमे दर्ज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुए तथा चारों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इसके अलावा अपीलान्ट के विरुध्द एक भा.दं.सं. के अन्तर्गत फौजदारी प्रकरण सं0 201/23..7.07 दर्ज हुआ है, जो पैंडिंग कोर्ट है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनाक 10.3.14 के अनुसार अपीलान्ट अवैध जुए के कारोबार में लिप्त है । वह आवारा एवं बदमाश प्रवृति का है तथा आम शोहरत अच्छी नहीं है । अपीलान्ट आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । मण्डी के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत है तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में जो आधार लिये गये हैं, उनसे हम सहमत नहीं हैं ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा आम दिनांक 10.3.14 एवम् बयान गवाह संजीव कुमार व प्रशान्त शर्मा के अनुसार अपीलार्थी जुआ सट्टे का आदि है आवारा प्रवृति का है तथा आम शोहरत अच्छी नहीं है । अपीलान्ट आम लोगों को थान में सूचना देने से धमकाता है । मण्डी के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानागढ में थानाधिकारी, पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.18 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर